रिसाला
-ए-
ताज़ियादारी
मुसन्निफ़
आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ाँ
फ़ाज़िले बरेलवी
www.jannatikaun.com

بسم الله الرحمن الرحيم

इस किताब में ताज़ियादारी और नज़्र व नियाज़ करने, लंगर लुटाने वग़ैरा के मुतअ़ल्लिक़ शरई तफ़सीली अहकाम हैं और यह भी बयान है कि ताज़िए कब से शुरू हुए कौन इनका बानी था

रिसाला ताज़ियादारी

मुसन्निफ़

आलाहज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन -ओ- मिल्लत

इमाम अहमद रज़ा ख़ाँ

रदियल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु

हिन्दी तर्जमा

जनाब मुहम्मद अहमद साहब

उर्फ़ मुहम्मद महताब अली (M.Sc. CAIIB)

पेश लफ़्ज़

अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फ़ज़्ल -ओ- करम और मेरे बुज़ुर्गों के फ़ैज़ से यह किताब "रिसाला ताज़ियादारी" जो ताज़ियादारी और माहे मुहर्रम में फैली हुई बिदआत के रद्द में है आपके हाथों में है। बहुत अर्से से तमन्ना थी कि आलाहज़रत मुजद्दिद दीन -ओ- मिल्लत शाह मुहम्मद अहमद रज़ा ख़ाँ के चन्द फ़तवों के इस संकलन को हिन्दी ज़बान में लाया जाए।

आज अय्यामे मुहर्रम में जो ख़ुराफ़ातें देखने को मिलती हैं कि मालूम ही नहीं होता कि ये ग़म मना रहे हैं या ख़ुशी और इल्ज़ाम सुन्नियों पर यह लगाया जाता है कि ये लोग ताज़ियादार हैं और मुहर्रम के दिनों में ये लोग जहालत, बिदआत, ख़ुराफ़ात, शिर्क, ताज़िया-परस्ती और बुतपरस्ती फैलाते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको बख़ूबी अन्दाज़ा हो जाएगा कि सुन्नी आलिमों बिलख़ुसूस आलाहज़रत ने आजकल फैल रही इन बिदअतों को कितने साफ़ अलफ़ाज़ में बयान किया है कि यह सब बातें कितनी बुरी हैं साथ ही उन लोगों की ज़बान (यानी वहाबियों की ज़बान) को भी शरई दलीलों से बन्द किया है जो इन सब बातों को शिर्क बताते हैं और हज़ारों भोले और कमइल्म सुन्नियों को मुशरिक बनाते हैं।

इस रिसाले की ज़बान ज़रा मुशकिल उर्दू है

हमने पूरी कोशिश की है कि इसे आसान ज़बान में पेश किया जाए फिर भी कहीं कहीं ज़बान मुशकिल ही है वाँ उसे आसान करना तक़रीबन नामुमकिन है मसलन सवाल न. तीन के जवाब के शुरू में एक मुक़दमे की तम्हीद में ज़बान बहुत मुशकिल है फिर भी हमारा अस्ल मक़सद हल हो ही जाता है और ताज़ियों वग़ैरा के लिए क्या हुक्म है ये आसानी से समझा जा सकता है, जो साहब ज़्यादा तफ़सील जानना चाहें किसी अहले सुन्नत व जमाअत के आलिम से राबता क़ायम करें।

इस किताब को तर्जुमा कराने और आप तक पहुँचाने में क़ादरी कित[illegible] के बानी जनाब मौलाना बहाउल मुसतफ़ा साहब [illegible] साथ बराबर काम किया मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुज़ार हूँ और आपसे गुज़ारिश है कि मेरे और उनके हक़ में दुनिया और आख़रत की भलाई के लिए दुआ फ़रमायें और यूँ ही काम चलता रहे इसके लिए भी दुआ फरमाए और किताब में जहाँ कहीं कोई कमी पायें हमें .जुरूर लिखें इन्शाअल्लाह उस कमी को दूर किया जाएगा।

मुहम्मद अहमद

11 ज़िल जिज्जा 1420

بسم اللہ الرحمن الرحیم ۔

ان احسن العزیۃ لقلوب المسلمین
فیماھجم من البدعات فی اعلام الدین
ان الحمد للہ رب العلمین وافضل
اصلوۃ واکمل السلام علی سید الشھد اء
بالحق یوم القیام و علی اٰلہ وصحبہ
الغر ر الکرام اٰمین ۝

<u>पहला सवाल</u> : 24 सफ़र हिजरी 1308, क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन इस मसअले में कि ताज़ियादारी का क्या हुक्म है।

<u>अलजवाब</u> : ताज़िया की अस्ल इस क़द्र थी कि हुज़ूर शहज़ादए गुलगूँ क़बा इमाम हुसैन (शहीद .ज़ुल्मो जफ़ा स़लावातुल्लाहि तआ़ला वस्सलाम अ़ला जद्दिहिल करीम व अ़लैह) के रौज़ए पुर नूर की सही नक़्ल बना कर तबर्रुक की नियत से मकान में रखना, इस में शरअन कोई हर्ज न था कि तस्वीर मकानात वग़ैरा हर ग़ैर जानदार की बनाना रखना सब जाएज़ और ऐसी चीज़ें कि बुज़ुर्गाने दीन की तरफ़ मन्सूब हो कर अज़मत पैदा करें उनकी तमसील (यानी उनकी मिस्ल या उन जैसी) तबर्रुक की नियत से पास रखना क़तअन जाएज़ जैसे सदहा साल से अइम्मए दीन व

उल्माए मोअतमदीन ने नालैन शरीफ़ैन हुज़ूर सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक़्शे बनाने और उनके फ़वाएदे जलीला व मुनाफ़े जज़ीला पर मुस्तक़िल रिसाले तसनीफ़ फ़रमाए हैं जिसे शुबा हो इमाम तिल्समानी की किताब फ़तहुल मुतआल वग़ैरा मुताला करे मगर बेअक़्ल जाहिलों ने इस अस्ल जाएज़ को बिल्कुल नेस्त -ओ- नाबूद करके सदहा ख़ुराफ़ात वह तराशीं कि शरीअते मुत्तहेरा से अल अमान अल अमान की सदायें आईं। अव्वल तो नफ़ीस ताज़िए में रौज़ए मुबारक की नक़्ल मलहूज़ न रही हर जगह नई-नई तराश नई-नई गढ़त जिसे उस नक़्ल से कुछ इलाक़ा न निसबत फिर किसी में परियाँ किसी में बुराक़ किसी में और बेहूदा तमतराक़ फिर कूचा -ब- कूचा व दश्त -ब- दश्त ग़म की इशाअत के लिए उनका गश्त और उनके गिर्द सीनाज़नी और मातम का शोर, कोई उन तस्वीरों को झुक-झुक कर सलाम कर रहा है, कोई तवाफ़ कर रहा है, कोई सजदे में गिरा है, कोई इन माए बिदआत को मआज़ अल्लाह जलवागाहे हज़रत इमाम अली जद्देही अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ कर उस अबरक पन्नी से मुरादें मांगता, मन्नतें मांगता है, उन्हें हाजतरवा जानता है फिर बाक़ी तमाशे बाजे ताशे मर्दों औरतों का रातों को मेल और तरह तरह के बेहूदा खेल इन सब पर तुर्रा हैं -- गर्ज़ अशरा मुहर्रमुल हराम का महीना कि अगली शरीअतों से उस शरीअत पाक तक निहायत बाबरकत व महल्ले इबादत ठहरा

हुआ था इन बेहूदा रस्मों ने जाहिलाना व फ़ासक़ाना मेलों का ज़माना कर दिया फिर वह जोश कि ख़ैरात को भी बतौर ख़ैरात न रखा रिया (दिखावा) व तफ़ाख़ुर (फ़ख़्र से) अलानिया होता है फिर वह भी यह नहीं कि सीधी तरह मुहताजों को दें बल्कि छतों पर बैठ कर फेंके जाते हैं। रोटियाँ ज़मीन पर गिर रही हैं रिज़्क़े इलाही की बेअदबी होती है, पैसे रेते में गिर कर ग़ायब हो जाते हैं, माल बर्बाद हो रहा है मगर नाम तो हो गया कि फ़लाँ साहब लंगर लुटा रहे हैं। अब बहारे अशरा के फूल खिले ताशे बाजे बजते चले तरह तरह के खेलों की धूम, बाज़ारी औरतों का हर तरफ़ हुजूम, शहवानी मेलों की पूरी रसूम जश्न और इसके साथ ख़्याल यह कि गोया यह बनाई हुई तस्वीरें बेऐनिही हज़रात शोहदाए किराम रिद़्वानुल्लाहि तआला अ़लैहिम अजमईन के जनाज़े हैं। कुछ नोच उतार बाक़ी तोड़ ताड़ दफ़न कर दिए यह हर साल माल की बर्बादी का जुर्म अलग इनके सर है। अल्लाह तआला सदक़ा हज़रात शोहदाए करबला अ़लैहिमुर्रिद़्वान वस्सना का हमारे भाईयों को नेकियों की तौफ़ीक़ बख़्शे और बुरी बातों से तौबा अता फ़रमाए। आमीन। अब ताज़ियादारी इस तरीक़ए नामर्ज़िया (ग़ैरपसन्दीदा यानी जो शरीअत को पसन्द नहीं) का नाम है क़तअन बिदअत व नाजाएज़ व हराम है। हाँ अगर अहले इस्लाम जाएज़ तौर पर हज़रात शोहदाए किराम अ़लैहिमुर्रिद़्वान की पाक रूहों को इसाले सवाब करते तो किस क़द्र ख़ूब व महबूब

था और अगर नज़रे शौक़ व महब्बत में नक़्ल रौज़ए अनवर की भी हाजत थी तो इसी क़द्र जाएज़ पर कनाअत करते कि सही नक़्ल बग़ज़ें तबर्रुक व ज़ियारत अपने मकानों में और बनावटी ग़म व नौहाज़नी व मातमकनी व दूसरी बुरी बिदअतों से बचते, इस क़द्र में कोई हर्ज न था मगर अब इस नक़्ल में भी अहले बिदअत से एक मुशाबहत और ताज़ियादारी की तोहमत का ख़दशा और आइन्दा अपनी औलाद या अहले ऐतकाद के लिए इन बिदआत में मुब्तिला होने का अन्देशा है हदीस में आया है :- اتقوا مواضع التهم (तर्जमा : तोहमत की जगह से बचो) और आया है कि

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم

तर्जमा : जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वह तोहमत की जगह न खड़ा हो।

लिहाज़ा रौज़ए अक़दस हुज़ूर सय्यदुश्शोहदा की ऐसी तस्वीर भी न बनाए बल्कि सिर्फ़ काग़ज़ के सही नक़्शे पर क़नाअत करे और उसे तबर्रुक के इरादे से उन चीज़ों से बचाए जिनसे मना किया गया है जिस तरह हरमैन मोहतरमैन से काबए मुअज़्ज़मा और रौज़ए आलिया के नक़्शे आते हैं या दलाएलुल ख़ैरात शरीफ़ में .क़ुबूर पुर नूर के नक़्शे लिखे हैं

والسلام على من اتبع الهدى والله سبحنه وتعالىٰ اعلم.

तर्जमा : सलाम हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे। पाकी है अल्लाह तआला के लिए वही बेहतर जानता है।

<u>दूसरा सवाल</u> : मौलवी सय्यद मुहम्मद शाह साहब मीलादख़्वाँ 22 शाबान हिजरी 1311 अमरोहा।

क्या इरशाद है दीने मतीन का इस मसअले में कि मजालिसे मीलाद शरीफ़ में शहादत का पढ़ना जाएज़ है या नहीं।

<u>अलजवाब</u> : शहादतनामे नस्र (गद्य) या नज़्म (पद्य) जो आजकल अवाम में राएज हैं अकसर झूटी रिवायात हैं और बेसरो-पा मंगढ़न्त झूट से भरी हुई हैं ---- ऐसे बयान का पढ़ना सुनना वह शहादत हो या कुछ और मजलिसे मीलाद मुबारक में हो ख़्वाह कहीं और मुतलक़न हराम व नाजाएज़ है ख़ुसूसन जबकि वह बयान ऐसी ख़ुराफ़ात से भरा हो जिनसे अवाम के अक़ाएद में तज़लज़ुल पैदा हो फिर तो और भी ज़्यादा ज़हर क़ातिल है ---- ऐसी ही वजहों पर नज़र फ़रमाकर इमाम हुज्जतुल इस्लाम मुहम्मद मुहम्मद मुहम्मद ग़ज़ाली .कुद्दिसा सिर्रुहुल आली वग़ैरा अइम्मए किराम ने हुक्म फ़रमाया कि शहादत नामे पढ़ना हराम है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की क़ुद्दिसा सिर्रुहू मसलकी सवाइक़े मुहरक़ा में फ़रमाते हैं :-

قالا الغزالی و غیرہ یحرم علی الواعظ وغیرہ روایۃ مقتل الحسین وحکایۃ

<u>तर्जमा</u> : इमाम ग़ज़ाली वग़ैरा ने फ़रमाया कि वाएज़ वग़ैरा पर मक़्तल हुसैन की रिवायत बयान करना हराम है।

यूंही जबकि इससे मक़सूद ग़मपरवरी व तसन्नो (बनावट) व हुज़्न (मलाल) हो तो यह नियत भी शरीअत को नापसन्दीदा है। शरा मुत्तहेरा ने ग़म में सब्र व तसलीम और ग़म को जहाँ तक हो सके दिल से

दूर करने का हुक्म दिया है नाकि वह ग़म जो अभी आया भी नहीं उसे बनावटी तौर पर लाना और इसको सवाब ठहराना ये सब राफ़ज़ियों की बहुत बुरी बिदआत हैं जिनसे सुन्नी को बचना लाज़िम, हाशा लिल्लाह! इसमें कोई ख़ूबी होती तो हुज़ूर पुर नूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफ़ाते अक़दस का ग़म मनाना सबसे ज़्यादा अहम व ज़ुरूरी होता, देखो हुज़ूर -ए-अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का माहे विलादत व माहे वफ़ात वही माहे मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ़ है फिर उल्माए उम्मत व हामियाने सुन्नत ने उसे मातम व वफ़ात न ठहराया मौसमे शादी विलादते अक़दस बनाया। (मतलब यह कि सुन्नी आलिमों ने रबीउल अव्वल शरीफ़ में ख़ुशी मनाने का हुक्म दिया) इमाम ममदूह किताबे मौसूफ़ में फ़रमाते हैं :-

اياه ثم اياه ان يشغله (اى يوم عاشوراء) ببدع الرافضة و نحوهم من الندب و النيا حة والحزن اذليس ذلك من اخلاق المومنين و الا لكان يوم و فاته صلى الله عليه وسلم اولے بذلك واحرى الخ۔

<u>तर्जमा</u> : बचो बचो अगर मशग़ूल हुए उसमें यानी आशूरे के दिन राफ़ज़ियों और उन्हीं की तरह बिदअतों में यानी ख़ुशी मनाना या नौहा व ग़म करना ये नहीं हैं मुसलमानों के इख़्लाक़ से वर्ना अगर ऐसा होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के दिन बदर्जा औला होता।

अवाम मजलिस पढ़ने वाले अगर्चे बिलफ़र्ज़

सही रिवायात पढ़ें भी नो जो उनके हाल से आगाह है ख़ूब जानता है कि ज़िक्रे शहादत शरीफ़ पढ़ने से उनका मतलब यही बनावटी रोना या रुलाना है और इस रोने रुलाने से रंग जमाना है तो इसकी बुराई होने में क्या शुबा। हाँ अगर ख़ास बनियत ज़िक्र शरीफ़ हज़रात अहले बैत तहारत स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़ला सय्यद हुम व अ़लैहिम व बारिक वसल्लम उनके फ़ज़ाइले जलीला व मनाक़िबे जमीला से सही रिवायात बयान करते और इसी में उनके फ़ज़्ले जलील सब्रे जमील के इज़हार को ज़िक्रे शहादत भी आ जाता है और ग़मपरवरी और मातम-अंगेज़ी से एहतराज़ (बचना) होता है तो इसमें हर्ज न था मगर अफ़सोस उनके तौर तरीक़े इस नियते ख़ैर से जुदा हैं, ज़िक्र फ़ज़ाएल शरीफ़ मक़सूद होता तो क्या इन महबूबाने ख़ुदा की फज़ीलत सिर्फ़ यही शहादत थी बेशुमार मनाक़िबे अज़ीम अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला ने उन्हें अता फ़रमाए उन्हें छोड़ कर इसी को इख़्तेयार करना और उसमें तरह तरह से रिक़्क़त ख़ेज़ अल्फ़ाज़ों नौहा मलाल ग़म से उनका मक़सद यही मालूम होता है, ग़र्ज़ अवाम के लिए इसमें कोई वजह सालिम नज़र आना सख़्त दुश्वार है फिर मजलिस मीलादे अक़्दस अज़ीम ख़ुशी और ईदे अकबर की मजलिस हैं ग़म व मातम का ज़िक्र इसमें मुनासिब नहीं। फ़कीर इसमें वफ़ात का ज़िक्र लाना भी जैसा कि बाज़ अवाम में राएज है पसन्द नहीं करता हालांकि हुज़ूर की हयात भी हमारे लिए ख़ैर और हुज़ूर की वफ़ात भी हमारे लिए ख़ैर (सल्लल्लाहु तआ़ला

अ़लैहि वसल्लम) इस तहरीर के बाद अल्लामा मुहद्दिस सय्यदी मुहम्मद ताहिर फ़तनी .कुद्दिसा सिर्रुहू की तशरीह मेरी नज़र से गुज़री कि फ़क़ीर की इस राय की मुवाफ़क़त फ़रमाई। वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन। आख़िर किताब बहारुल अनवार में फ़रमाते हैं

شهرا لسرورو البهجة مظهر منبع الانواروالرحمة شهرربيع الاول فانه شهرامرنابا ظهار الحبورفيه كل عام فلانكدرة باسم الوفاة فانه يشبه تجديد الماتم وقدنصواعلى كراهته كل عام فى سيدنا الحسين مع انه ليس له اصدفى امهات البلادالاسلامية وقدتحاشوا عن اسمه فى اعراس الاولياء فكيف به فى سيد الاصفياء صلى الله عليه وسلم

<u>तर्जमा</u> : माहे मुबारक रबीउल अव्वल ख़ुशी व शादमानी का महीना है और सरचश्मए अनवार रहमत सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का ज़माना ज़हूर है हमें हुक्म है कि हर साल इसमें ख़ुशी ज़ाहिर करें तो हम इसे वफ़ात के नाम पर मुकद्दर (ख़राब करना) न करेंगे कि यह तजदीद मातम के मुशाबा है और बेशक उल्मा ने तसरीह की कि हर साल जो सय्येदिना इमाम हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का मातम किया जाता है शरअन मकरूह है और ख़ास इस्लामी शहरों में इसकी कुछ बुनयाद नहीं, औलियाए किराम के उर्सों में नामे मातम से एहतराज़ (बचना) करते हैं तो हुज़ूर पुर नूर सय्यदुल अस्फ़िया सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के मामले में इसे क्यूँकर पसन्द कर सकते हैं।

فالحمد لله على ماالهم والله سبحنه وتعالى اعلم

तीसरा सवाल : अज़ रियासत रामपुर मुहल्ला मियाँ गानान मुरसला मौलवी याहया साहब मुहर्रम 1321 हिजरी।

क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन इस मसअले में कि शहादतनामा पढ़ना कैसा है और उसमें और ताज़ियादारी में फ़र्क़े अहकाम क्या हैं।

अलजवाब : ज़िक्रे शहादत शरीफ़ जबकि मनगढ़ंत रिवायात व कलिमात और जो बातें शरीअत में मना व नियते नामशरूअ (यानी ग़ैर शरीई नियत्त) से ख़ाली हों सआदत व जाएज़ हैं। ذکر الصلحین تنزل ارحمۃ (तर्जमा : नेकों के ज़िक्र के वक़्त रहमत नाज़िल होती है।) इस की तफ्सीले जमील फ़तावा फ़क़ीर में है और ताज़ियादारी में हुक्म के फ़र्क़ के लिए एक मुक़दमे की तम्हीद (भूमिका) चाहता हूँ और अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ से मैं कहता हूँ कि हर शय की एक हक़ीक़त होती है और कुछ चीज़ें ज़ाएद जो उसके लिए लाज़िम होती हैं शरई अहकाम से भरी हुई वुजूद के ऐतबार (वजह) से होती हैं सिर्फ़ अक़्ली ऐतबार अहकामे शरई के वुजूद के लिए मक़सूरे नज़र नहीं होती इस लिए फ़िक़्ह आक़िल बालिग़ के काम से बहस करती है जो काम में नहीं आ सकती और वजह से ख़ारिज है। ऐतबार के बदलने से हुक्म वहीं बदलता है जहाँ वह वजह वाक़यतन उस शय से अलग हो कि चीज़ कभी एक के साथ पाई जाती है कभी दूसरे के साथ तो हर वुजूद के क़िस्म के ऐतबार से मुख़्तलिफ़ हुक्म दिया जा सकता है और ऐसे ही सोचा जा सकता है कि अस्ले चीज़ का हुक्म

उन बाज़ ऐतबार से जुदा हो मगर बाज़ ज़ाएद चीज़ें जो वुजूद के लिए लाज़िम हैं उनके हुक्म से जुदा कोई हुक्मे हक़ीक़त के लिए जुदा न होगा इस लिए कि लाज़िम का मलज़ूम (जिसके लिए लाज़िम हो जैसे कि नमाज़ के लिए पाकी लाज़िम है कि बग़ैर पाकी के नमाज़ नहीं हो सकती) से अलग होना मुहाल है तो जब तो वो चीज़ें जो किसी चीज़ की हक़ीक़त में दाख़िल हों उनसे नज़र फेरना मुमकिन नहीं फिर उर्फ़ की हक़ीक़त में वह शय दाख़िल है और बाज़ अजज़ा शय की हक़ीक़त के जुज़ हैं तो ऐतबार के बदलने से शय नहीं बदलती है बल्कि शय का बदलना उरफ़न है मसलन नमाज़ उर्फ़े शरा में मख़सूस चीज़ों के मजमूआ और मख़सूस हालत का नाम है अब अगर कोई इन चीज़ों में से अलग करके हालत ही को बदल कर एक सूरत का नाम नमाज़ रखे जो क़ादा से शुरू होकर क़याम पर ख़त्म हो और इसमें सजदे को रुकू से पहले कर दे तो यह हक़ीक़तन नमाज़ ही की तबदीली होगी नाकि एक दूसरी हक़ीक़त जो कि एक दूसरे ऐतबार से हासिल हुई है तो जब यह मुक़दमा साबित हो लिया तो फ़र्क़े हुक्म ज़ाहिर हो लिया कि शहादतनामा पढ़ने की हक़ीक़त उरफ़न सिर्फ़ इस क़द्र कि ज़िक्रे शहादत शरीफ़ हज़राते हसनैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा मुसलमानों के सामने पढ़ा जाए तो मआज़ अल्लाह मनगढ़ंत और झूटी रिवायात या वह ज़िक्र जो सहाबा की शान में तनक़ीस (तौहीन, ज़िल्लत) पर शामिल हो तो हर्गिज़

ज़िक्रे शहादत की हक़ीक़त में दाख़िल न उसके लिए लाज़िम। लिहाज़ा जो लोग सहीं मोतबर रिवायात जैसे सिर्रुश्शहादतैन (किताब का नाम) पढ़ते हैं तो उसे भी यक़ीनन शहादत ही पढ़ना और मजलिस को मजालिसे शहादत ही कहते हैं तो मालूम हुआ कि वह चीज़ें जो नाजाएज़ हैं उसमें दाख़िल हो जायें तो उसको हक़ीक़त से अलग ही समझा जाएगा और नाजाएज़ चीज़ के आ जाने से जाएज़ और हसन चीज़ बुरी नहीं हो जाती बल्कि वह अपनी ज़ात में अपने अस्ली हुक्म पर रहती है और मना करना उन ख़राब चीज़ों से मुताल्लिक़ हो जाता है जैसे रेशमी कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ना मर्दों के लिए हराम है तो मआज़ अल्लाह हराम नमाज़ को न कहेंगे बल्कि रेशमी कपड़े को हराम कहेंगे नाकि नमाज़ को बल्कि रेशमी कपड़े को नमाज़ में पहनना --- तो शहादतनामों में इन ख़ुराफ़ात का मिला देना ठीक ऐसे ही है जैसे आजकल बाज़ जाहिल हिन्दुस्तान में मजलिसे मीलाद मुबारक में मंगढ़न्त रिवायतें और बे-सरो-पा क़िस्से बल्कि ऐसे कलिमात जिनमें मलाइका व अम्बिया की तौहीन हो पढ़ना इख़्तेयार किए हुए हैं। इससे हक़ीक़त मीलाद की न बदलेगी न मीलाद में जो चीज़ें राएज हो गई हैं मीलाद की हक़ीक़त में दाख़िल होंगी जो मजलिसें पाक साफ़ होती हैं उन्हें भी यक़ीनन मजलिसे मीलादे मुबारक ही कहा जाता है और हर्गिज़ किसी को यह ख़्याल नहीं होता कि यह कोई दूसरी चीज़ है जो इस मजलिस की हक़ीक़त से जुदा है

बख़िलाफ़ ताज़ियादारी कि इसकी आग़ाज़ अगर्चे यूंही सुना गया कि सुल्तान तैमूर ने देखा कि हर साल हुज़ूर सय्यदुश्शोहदा शहज़ादए गुलगूँ क़बा जद्दिहिल करीम अ़लैहिस्सलातु वस्सना के दरबार में हाज़िरी देने से सल्तनत के कामों में ख़लल होता है तो शौक़ और तबर्रुक के लिए रौज़ए अक़्दस की तमसील बनवा ली और इसमें शरअन कोई हर्ज न था अगर कोई शख़्स रौज़ए अनवर मदीनए मुनव्वरा व काबए मुअ़ज़्ज़मा के नक़्शों की तरह काग़ज़ पर तमसील रौज़ए हज़रत सय्यदुश्शोहदा आइने में लगा कर रखे हरगिज़ न इसे ताज़िया कहेंगे न उस शख़्स को ताज़ियादार हालांकि अम्र क़तअन मौजूद है और यह हर साल तरह-तरह की तराश ख़राश खपच्ची पत्तियाँ किसी में बुराक़ किसी में परियाँ जो गली कूचा गश्त कराई जाती हैं हर्गिज़ सय्यदुश्शोहदा के रौज़े की तमसील नहीं कि अगर उनकी मिस्ल होतीं तो एक ही तरह की होतीं नाकि मुख़्तलिफ़, इन्हें ज़ुरूर ताज़िया और ऐसा करने वालों को ताज़ियादार कहा जाता है --- तो ज़ाहिर यह हुआ कि ताज़ियादारी की हक़ीक़त इन्हीं नाजाएज़ कामों का नाम ठहरा है नाकि हक़ीक़त में वही उर्फ़ में अम्र (काम) जाएज़ हो और ये नाजाएज़ उमूर (कार्य) जाएज़ और जुदा होने वाले समझे जाते हों --- लिहाज़ा फ़क़ीर ने अपने फ़तवे में जाएज़ मिक़्दार को ज़िक्र करके कहा कि जाहिलों बेअक़्लों ने उस अस्ल जाएज़ को बिल्कुल नेस्त -ओ- नाबूद करके आख़िर में यह

कहा कि अब ताज़ियादारी इस तरीक़ए नामर्ज़िया का नाम है क़तअन बिदअत व नाजाएज़ व हराम है यह उसी फ़र्क़े जलील व नफ़ीस की तरफ़ इशारा था जो मुक़दमे की तम्हीद में गुज़रा। बिल्जुमला शहादतनामा की हक़ीक़त अभी तक वही अम्रे मुबाह व महमूद है और शनाए ज़वाएद अवारिज़ (यानी आरज़ी तौर पर जो बुरी बातें राइज है) अगर इन से ख़ाली और नियत नामहमूद से पाक हो .ज़ुरूर मुबाह है इस की नज़ीर पिछली उम्मतों में बुतपरस्ती का आग़ाज़ है। वुद, सुवाअ, यगूस, अऊक़ व नस्र (पिछली उम्मतों के कुछ नेक लोगों के नाम) स्वाल्हेहीन थे उनके इन्तेक़ाल पर उनकी याद के लिए उनकी सूरतें तराशीं, लम्बे ज़माने के बाद पिछली नस्लों ने उन्हें माबूद समझ लिया तो कोई नहीं कह सकता कि उन बुतों की हालत अपनी उन्हीं शुरू की हक़ीक़त पर बाक़ी थी। ये शनाए ज़वाएद अवारिज़ ख़ारजा थे लिहाज़ा शरीअते इलाहिया मुतलक़न उनके रद्द व इन्कार पर नाज़िल हुई। बुख़ारी वग़ैरा हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रद़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से और अब्दुल्लाह इब्ने उबैद इब्ने उमैर से ऐसी ही रिवायात मिलती हैं।

लिहाज़ा यह फ़र्क़े नफ़ीस ख़ूब याद रखने का है कि इसी से ग़फ़लत करके वहाबिया अस्ल हक़ीक़त पर हुक्मे अवारिज़ लगाते हैं (यानी ताज़ियादारी में जो नाजाएज़ काम जाहिलों ने दाख़िल कर दिए हैं इस नाजाएज़ का हुक्म अस्ले जाएज़ पर लगाते हैं और

वहाबिया इसी की वजह से सही बात को भी शिर्क वग़ैरा कहते हैं) और ताज़ियादार तब्दीले हक़ीक़त को इख़्तेलाफ़े अवारिज़ ठहराते हैं (यानी ताज़ियादार तब्दील होकर पैदा हुई ग़ैर शरई बातों को ठीक ठहराते हैं) और दोनों सख़्त खुली हुई ग़लती में मुब्तिला हो जाते हैं।

وباللہ العصمۃ واللہ سبحٰنہ تعالٰی اعلم۔

तर्जमा : अल्लाह तआ़ला ही से हिफ़ाज़त है और अल्लाह पाक ज़्यादा जानता है।

नोट : इस सवाल के जवाब में जो मुक़दमा है बल्कि पूरा का पूरा सवाल ही बहुत मुश्किल है मगर हमारा अस्ल मक़सद यानी ताज़ियादारी जो आजकल राएज है उसे हराम बताना है जो हमे हासिल है। लिहाज़ा पढ़ने वालों से गुज़ारिश है कि इस सावाल के जवाब को किसी अच्छे आलिम से समझ लें। इस किताब ही में उर्दू के अल्फ़ाज़ बहुत ज़्यादा हैं हमने एक कोशिश की है समझाने की लिहाज़ा इबारात को बार बार पढ़ कर समझने की कोशिश करें। इस सवाल में इतना समझना बहुत .जुरूरी है कि किसी जाएज़ बात में किसी शख़्स के कोई नाजाएज़ बात मिला देने से जाएज़ चीज़ नाजाएज़ नहीं हो जाती।

<u>चौथा सवाल</u> : हाफ़िज़ सय्यद बुनयाद अली साहब 8 मुहर्रमुल हराम हिजरी 1313 धामपुर ज़िला बिजनौर।

क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन इस मसअले में कि यौमे आशूरा में सबील लगाना और खाना खिलाना और लंगर लुटाने के बारे में देवबन्द के उल्मा मुमानअत करते हैं और किताबे शहादत को भी जो हुक्म शरीअत के नज़दीक हो बयान फ़रमाइये और मजलिस मुहर्रम में ज़िक्रे शहादत और मर्सिया सुनना कैसा है।

<u>अलजवाब</u> : पाक रूहों को सवाब पहुँचाना मक़सूद हो तो बिला शुबा बेहतर व मुस्तहब व कारे सवाब है। हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

اذاكثرت ذنوبك فاسق الماء على الماء تتناثر الذنوب

كما يتناثر الورق من الشجر فى الريح العاصف.

<u>तर्जमा</u> : जब तेरे गुनाह ज़्यादा हो जायें तो पानी पर पानी पिला गुनाह झड़ जायेंगे जैसे सख़्त आंधी में पत्ते।

इसी तरह खाना खिलाना लंगर बाटना भी अच्छा और उसे इसका अज्र मिलेगा। हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

ان الله عزوجل يباهى ملئكته بالذين يطعمون اطعام من وبيده

<u>तर्जमा</u> : अल्लाह तआला अपने बन्दों से जो लोगों को खाना खिलाते है फ़रिश्तों के साथ मुबाहात (फ़ख़्र करना, नाज़ फ़रमाना) फ़रमाता है कि देखो यह कैसा अच्छा काम कर रहे हैं।

मगर लंगर लुटाना जिसे कहते हैं कि लोग छतों पर बैठ कर रोटियाँ फेंकते हैं कुछ हाथों में

जाती हैं कुछ ज़मीन पर गिर जाती हैं कुछ पांव के नीचे आती हैं यह मना है कि इसमें रिज़्के इलाही की बेताज़ीमी है --- बहुत उल्मा ने तो रुपयों पैसों का लुटाना जिस तरह दुल्हन या दूल्हा पर निछावर करते हैं मना फ़रमाया कि रुपयों पैसों को अल्लाह तआ़ला ने ख़ल्क़ की हाजतरवाई के लिए बनाया है तो उसे फेंकना नहीं चाहिए फिर रोटी का फेंकना तो सख़्त बेहूदा है, बज़्ज़ाज़िया में ऐसे ही आया है।

कुतुबे शहादत में जो आजकल राइज हैं अकसर मंगढ़न्त हिकायात व बातिल रिवायात हैं यूंही मरसिए ऐसी चीज़ों का पढ़ना सुनना गुनाह व हराम है। अबू दाऊद व हाकिम में अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने मरसिए से मना फ़रमाया। ऐसे ही ज़िक्रे शहादत को इमाम हुज्जतुल इस्लाम वग़ैरा उल्माए किराम मना फ़रमाते हैं। हाँ अगर सही रिवायात बयान की जायें और कोई कलिमा किसी नबी या मलक या अहले बैत या सहाबी की तौहीन न हो और न ही उनकी तारीफ़ में हद से ज़्यादा मुबालग़ा करे और वहाँ बैन, झूटा रोना धोना, नौहा, सीनाकोबी, गरेबानदरी या मातम या बनावटी ग़म व ग़ैर शरई बातें जो मना हैं न हों तो ज़िक्र शरीफ फ़ज़ाइल व मनाक़िब हज़रत सय्येदिना इमाम हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का बिलाशुबा मूजिबे सवाब व नुजूले रहमत है कि जहाँ स्वालेहीन का ज़िक्र हो वहाँ अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। लिहाज़ा इब्ने हजर मक्की ने भी ऐसा ही फ़रमाया।

__पांचवाँ सवाल__ :- अज़ मुफ़्ती गंज ज़िला पटना डाकख़ाना एक नगर सराए मुरसला मुहम्मद नवाब साहब क़ादरी व साथी 27 रमज़ान शरीफ़ हिजरी 1318

यहाँ अशरा मुहर्रम में मजलिस मरसिया ख़्वानी की होती है और मरसिया सूफ़िया किराम के पढ़े जाते हैं और सीनाकोबी व बैन नहीं होता और मजलिस करने वाला सुन्नी है तो ऐसी मजलिस में शिरकत या उसमें मरसिया-ख़्वानी का क्या हुक्म है।

__अलजवाब__ :- जो मजलिस ज़िक्रे शरीफ़ हज़रत सय्येदिना इमाम हुसैन व अहले बैत किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम की हो जिसमें सही और मोतबर (ऐतबार के क़ाबिल) रिवायात से उनके फ़ज़ाएल व मक़ामात व मदारिज बयान किए जायें और मातम, तजदीदे ग़म व ख़िलाफ़े शरा बातों वग़ैरा से पाक हो हसन व महमूद है ख़्वाह उसमें नस्र (गद्य) पढ़ें या नज़्म (पद्य) अगर्चे नज़्म को मरसिया का नाम ही दिया जाता हो कि अब यह वह नहीं कि जिसकी निसबत हदीस में मना फ़रमाया गया है।

__छठा सवाल__ : अज़ नवाबगंज 20 मुहर्रम हिजरी 1321

क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन व मुफ़्तीयाने शरा मतीन इन सूरतों में (1) एक शख़्स कहता है कि मैं ताज़िया का चढ़ा हुआ नहीं खाता हूँ हज़रत इमाम हुसैन की नियाज़ का खाता हूँ। (2) एक शख़्स कहता है ताज़िया से क्या होता है चढ़ावा कोई हो मैं नहीं खाता हूँ नियाज़ खाता हूँ। (3) एक शख़्स कहता है अशरा मुहर्रमुल हराम में जो कुछ खाने पीने वग़ैरा

में होता है दस रोज़ तक ताज़िया का चढ़ा होता है। (4) एक शख़्स कहता है ताज़िया बुत है बसबब लगाने सूरत के। (5) एक शख़्स कहता है कि यह सूरत वह है जो बुराक़ और हूरें जन्नत में हैं। (6) एक शख़्स कहता है कि ताज़िया और मस्जिद में कुछ फ़र्क़ नहीं बल्कि कहता है कि मस्जिद में क्या है वह ईंट गारा ही तो हैं जो वहाँ सजदा करते हो और ताज़िया में अबरक काग़ज़ वगैरा हैं। (7) एक शख़्स कहता है कि भाई यह बातें शरा की हैं लिख कर शरा के सुपुर्द करो आपस में झगड़ा मत करो। (8) एक शख़्स कहता है कि तुम शरा नहीं समझते। (9) एक शख़्स कहता है कि जिस हालत में तुम शरा को नहीं समझते हो तो मैं ताज़िया के चढ़ाने को हराम समझता हूँ।

अलजवाब : पहला शख़्स अच्छी बात कहता है वाक़ई हज़रत इमाम के नाम की नियाज़ खानी चाहिए और ताज़िया का चढ़ा हुआ खाना न चाहिए अगर उसके क़ौल का यह मतलब है कि वह ताज़िया का चढ़ा हुआ. इस नियत से नहीं खाता कि वह ताज़िया का चढ़ा हुआ है बल्कि इस नियत से खाता है कि वह इमाम की नियाज़ है तो यह क़ौल ग़लत और बेहूदा है। ताज़िया पर चढ़ाने से हज़रते इमाम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु की नियाज़ नहीं हो जाती अगर नियाज़ या दूसरी चीज़ें चढ़ाई या चढ़ा कर नियाज़ दिलाई तो उसके खाने से बचना चाहिए और वह नियत का तिफ़र्क़ा (फ़र्क़ होना) उसके

मुफ़सिदा (यानी फ़ासिद होना) को दफ़ा न करेगा, मुफ़सिदा उसमें यह है कि उसके खाने से जाहिलों की नज़र में एक नाजाएज़ काम की वक़अत बढ़ानी या कम अज़ कम अपने आपको इसके ऐतक़ाद की तोहमत लगाना है और दोनों बातें बुरी हैं। लिहाज़ा उसके खाने पीने से बचना चाहिए। वल्लाह तआला आलम। (2) दूसरे शख़्स की बात में ज़रा ज़्यादती है औलियाए किराम के मज़ारात पर जो शरीनी खाना लोग बनियते तसद्दुक़ ले जाते हैं उसे भी बाज़ लोग चढ़ावा कहते हैं उसके खाने में फ़क़ीर को असलन कोई हर्ज नहीं। (3) तीसरे शख़्स ने नियाज़ और ताज़िया के चढ़ावे में फ़र्क़ न किया यह ग़लत है चढ़ावा वही है जो ताज़िया पर या इसके पास ले जाकर सब के सामने नज़्रे ताज़िया की नियत से रखा जावे बाक़ी सब खाने शरबत वग़ैरा कि अशरा मुहर्रम में बनियते ईसाले सवाब हो वह चढ़ावा नहीं हो सकते। (4) मुजस्सम तस्वीर को बुत कहते है। इस मअनी पर वह तस्वीरें कि ताज़िया में लगाई जाती है बुत हैं और मिजाज़न कुल को भी कह सकते हैं और अगर बुत से मुराद मुतलक़ हो तो यह सख़्त ज़्यादती है ---- इन्साफ़ यह है कि कोई जाहिल सा जाहिल भी ताज़िया को माबूद नहीं जानता। (5) इस शख़्स का यह सिर्फ़ इफ़्तेरा है कहाँ हूर व बुराक़ और कहाँ यह काग़ज़ पन्नी की मूरतें जिस से कहीं ज़्यादा ख़ूबसूरत कसगरों के यहाँ रोज़ बनती हैं और अगर हो भी तो हूर व बुराक़ की तस्वीरें कहाँ

हलाल हैं। (6) यह शख़्स सरीह गुमराह बदअक़्ल व बद्ज़बान है, मस्जिद को कोई सजदा नहीं करता न उसकी हक़ीक़त ईंट गारा है कि वह ज़मीन कि नमाज़ व इबादते इलाही बजा लाने के लिए तमाम हुकूके इबाद से जुदा करके अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला के हुक्म से उसकी तरफ़ तक़र्रुब के वास्ते ख़ास मिल्के इलाही पर छोड़ी गई, अब वो शआरुल्लाह (मतलब यह कि अल्लाह की निशानियाँ) से हो गई और शआरुल्लाह कीं ताज़ीम का हुक्म है। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :-

ومن يعظم شعائر الله فانهامن تقوى القلوب۔

तर्जमा : अल्लाह तआ़ला की निशानियों की ताज़ीम करना दिलों की परहेज़गारी है।

इन सब बिदअतों को इससे क्या मतलब मगर जहल मुरक्कब (वह शख़्स जो जानता कुछ न हो और अपने आपको बहुत बड़ा जानकार या आलिम समझे उसे जहल मुरक्कब कहते हैं) सख़्त मर्ज़ है। वल अयाज़ु बिल्लाही तआ़ला। (7) इस शख़्स ने अच्छा किया मुसलमानों को यही हुक्म है कि जो बात न जाने ख़ुद उस पर कोई हुक्म न लगायें बल्कि अहले शरा से दरयाफ़्त करे। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है :-

فا سئلو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔

तर्जमा : अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है पूछो जानने वालों से अगर तुम नहीं जानते।

(8) इसके क़ौल का अगर यही मतलब है कि तुम लोग बेइल्म हो आपस में बहस न करो अहले शरा

से पूछो तो अच्छा किया और अगर यह मुराद है कि ताज़िया शरअन अच्छी चीज़ नहीं तो यह बहुत बुरा कहा और शरा पर इफ़्तेरा किया और अगर यह मक़सूद हो कि शरअन तो मक़सूद साफ़ ज़ाहिर है मगर तुम लोग नहीं समझते तो यह भी अच्छा कहा।
(9) इस का क़ौल हद से गुज़रा हुआ है ताज़िया का चढ़ावा खाना उन वजहों से जो हमने ज़िक्र कीं मकरूह व नापसन्द .ज़ुरूर है मगर हराम कहना ग़लत है। फ़तावा आलमगीरी में है कि वह बकरी को जो हिन्दू ने अपने बुत के नाम पर मुसलमान से ज़िबह कराया और मुसलमान ने अल्लाह अज़्ज़ावजल्ला की तकबीर कह कर ज़िबह कर दी, तस्रीह फ़रमाई कि हलाल है मुसलमान के लिए मकरूह है जब वहाँ सिर्फ़ कराहत का हुक्म है तो यहाँ तहरीम क्यूँकर। वल्लाह तआला आलम।

<u>छठा सवाल</u> : मसअला अज़ अतरौली ज़िला अलीगढ़ मुहल्ला मुग़लान मुरसलन इकराम अज़ीम साहब 18 जमादिल अव्वल हिजरी 1321

अहले शिया की मरसिया ख़्वानी की महफ़िलों में सुन्नियों का शरीक होना जाएज़ है या नहीं।

<u>अलजवाब</u> : हराम है। हदीस में रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

من کثر سوا وقوم فھو منھم

<u>तर्जमा</u> : जो किसी क़ौम के मजमे को बढ़ाए वह उन्हीं में से है

वह बदज़बान लोग नापाक लोग अकसर तबर्रा

बक जाते है। इस तरह कि जाहिल सुनने वालों को ख़बर भी नहीं होती और मुतावातिर सुना गया है कि सुन्नियां को जो शरबत देते हैं उसमें नजासत मिलाते हैं और कुछ न हो तो अपने यहाँ की .कुल्लतैन का पानी पिलाते हैं और कुछ न हो तो वह रिवायात मौज़ूआ (मंगढ़न्त) व कलमात शनीआ (बुरे) व मातम हराम से ख़ाली नहीं होती और देखे सुनेंगे और मना न कर सकेंगे ऐसी जगह जाना हराम है अल्लाह तआला फरमाता है :-

فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين والله تعلى اعلم۔

<u>**तर्जमा**</u> : न बैठो मालूम होने के बाद जालिम कौम के साथ। अल्लाह बेहतर जानने वाला है।

<u>**सातवाँ सवाल**</u> : क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तीयाने शरा मतीन इस मसअले में कि ताज़िया बनाना और उस पर नज़्र व नियाज़ करना अर्ज़ियाँ मुराद पूरी हो जाने की उम्मीद से लटकाना और बनियत बिदअते हसना उसको दाख़िले हस्नात जानना (यानी अच्छा काम जानना) और उन कामों जो इनसे मुवाफिक हों और जो इसमें नए पैदा किए गए हों उनको शरीअत के मुवाफिक़ जानना या जो इनके मुताल्लिक हों कितना गुनाह है और इस ज़माने में जो ये ताज़ियादारी और अलमदारी है ज़ैद उन्हें अहले सुन्नत के मुवाफिक तसव्वुर करे तो यह किस क़िस्म का गुनाह है और इस पर शरा की क्या ताज़ीर लाज़िम आती है और ऐसे काम करने पर शिर्के ख़फ़ी या जली में मुब्तिला है या नहीं और उसकी बीवी

इससे निकाह से बाहर हुई या नहीं, ज़ैद इन सब बातों को जो ऊपर ज़िक्र हुई अहले सुन्नत के अक़ीदे के मुताबिक जानकर सवाब का काम समझ कर करता है।

अलजवाब : सवाल में जो बातें ज़िक्र की गई और जो इस ज़माने में अवाम में फैली हुई हैं बिदअते सइया (बुरी बिदअत या नया बुरा काम) व ममनूअ व नाजाएज़ हैं। इन्हें दाख़िले सवाब जानना और मुवाफ़िके शरीअत व मुताबिके मज़हबे अहले सुन्नत मानना सख़्तर ख़ताए अक़ीदा व जहल अशद है शरई सजा हाकिमे शरा सुलतान की राए पर मफ़ूज़ है यानी सही शरई सज़ा बादशाह या हाकिमे शरा ही देगा। ये सब शिर्क व कुफ़्र हर्गिज़ नहीं न इस बिना पर औरत निकाह से बाहर हो। अर्ज़ियाँ हाजत की उम्मीद से लटकाना महज़ बनियत तवस्सुल (वसीला की नियत से) है जो उसकी जहालत है कि जो काम मना हों वह तवस्सुल के लाएक नहीं होते बाकी हाजतरवा बिज़्ज़ात को कलिमागो हज़रत इमाम आली मक़ाम को भी नहीं जानता कि मआज़ अल्लाह तआ़ला शिर्क हो यह वहाबिया का जहल व गुमराही है। (कहने का मतलब यह है कि कोई भी शख़्स यह नहीं मानता कि इमाम आली मकाम ख़ुद हाजतरवा हैं यानी बिना अल्लाह के हुक्म से हाजतें पूरी कर रहे हैं। हर कलिमा पढ़ने वाला यह मानता है कि हाजत अल्लाह ही पूरी करता है बुज़ुर्ग तो वसीला हैं यानी हर कलिमा गो तवस्सुल का क़ायल है) वल्लाह तआ़ला आलम।

<u>आठवाँ सवाल</u> : मुरसला मौलाना ज़फ़र उद्दीन साहब 26 मुहर्रम हिजरी 1330।

मलफ़ूज़ात हज़रत सय्यद अब्दुल रज़्ज़ाक़ बांसवी .कुद्दिसा सिर्रुहू में यह हिकायतें हैं या नहीं।
(1) मुहर्रम की दसवीं थी हज़रत मौलाना ममदूह एक ताज़िया के साथ हो लिए जो जुलाहों का था और मस्नूई (झूटी बनाई हुई) करबला दफ़न होने के लिए लोग ले जाते थे आपकी वजह से और ख़ुद्दाम व मुरीदीन भी साथ हो लिए, करबला तक साथ साथ रहे बल्कि देर तक क़याम फ़रमाया।कुछ दिनों बाद ख़ास मुरीदीन ने पूछा तो फ़रमाया कि मुझे ताज़ियों से कुछ मतलब नहीं हम तो इमाम आली मक़ाम को देख कर साथ हुए थे कि उनके साथ औलियाए किराम का मजमा था।
(2) इन्हीं बुज़ुर्ग का क़िस्सा है कि एक दिन आशूरा को मस्जिद में बैठे वुज़ू कर रहे थे टोपी मुबारक फ़सील पर रखी थी कि यकायक इसी तरह नंगे सर नीचे तशरीफ़ ले आए और एक ताज़िए के साथ हो लिए, इस दफ़ा लोगों ने दरयाफ़्त किया तो फ़रमाया कि हज़रत सय्यदुतुन्निसा तशरीफ़ फ़रमा थीं। ये दोनों रिवायतें कहाँ तक सही हैं।

<u>अलजवाब</u> : दोनों रिवायतें महज़ ग़लत व बेअस्ल हैं, ताज़ियादारों को न कोई दलील शरई मिलती है न कोई सही क़ौल मजबूर होकर हिकायत बनाते हैं। इसी तरह की हिकायत कोई शाह अब्दुल अज़ीज़ से नक़ल करता है, कोई मौलाना शाह. अब्दुल मजीद साहब से,

कोई मौलाना शाह फ़ज़्ले रसूल साहब से, कोई मौलवी फ़ज़्लुर्रहमान साहब से, कोई हज़रत जद्दे अमजद रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह (यानी आलाहज़रत के वालिदे माजिद) से और सब बातिल व बनावटी हैं। मैं तो अभी ज़िन्दा हूँ मेरी निसबत कह दिया कि हमने ताज़ियां शायद अलम बताए कि उनके साथ जाते देखा और इस हिकायत का झूट तो ख़ुद इसी से रौशन कि फ़रमाया कि मुझे ताज़ियों से कुछ मतलब नहीं हम तो आली मक़ाम को देख कर साथ हुए थे कि उनके साथ औलिया किराम का मजमा था। सुब्हालल्लाह! जब ताज़िए ऐसे मुअज़्ज़म व मक़बूल व महबूबे बारगाह हैं कि ख़ुद हुज़ूर पुर नूर इमाम अनाम अली जद्दिहिल करीम सुम्मा अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ़्से नफ़ीस उनकी मशइयत फ़रमाते हैं उनके साथ चलते हैं तो उनसे कुछ मतलब न होना अल्लाह अज़्ज़वजल्ला के महबूब व मुअज़्ज़म से मतलब न होना है जो वली तो वली किसी मुसलमान की शान नहीं फिर आगे आख़िर में मुलाहिज़ा हो कि उनके साथ औलियाए किराम का मजमा था यह वज़ाहत के लिए बयान करना तो हो नहीं सकता तालीलया है यानी यह वज़ाहत बयान करने के लिए तो नहीं हो सकता यह ज़ुरूर सबब बयान के लिए है यानी हज़रत इमाम के साथ होने पर भी कुछ तवज्जो न होती मगर क्या कीजिए उनके साथ मजमा औलिया का था लिहाज़ा मजबूरन शामिल होना पड़ा **ऐब भी करने को हुनर चाहिए हाँ ख़ूब याद आया**

3 जमादुल आख़िर हिजरी 27 को तिलहर से एक सवाल आया था कि तूने ताजियादारी को जाएज़ कर दिया, इस ख़बर की क्या हकीकत है एक राफ़ज़ी बड़े फ़ख्र से इस रिवायत को नक्ल करता है और कहता है कि मेरा और दीगर चन्द उल्माए बरेली का फतवा तैयार हुआ है कि आयते ततहीर के तहत में अजवाजे मुत्तहेरात दाखिल नहीं इस फतवे की नकल उस राफज़ी के पास देखने में आई है फकत अब फरमाइये इससे बढ़ कर और क्या सुबूत दरकार जब ज़िन्दों के साथ यह बरताव है तो आलमे बरज़ख़ (मरने के बाद से कयामत तक आदमी जहाँ रहेगा उसे आलमे बरज़ख़ कहते हैं) की निस्बत जो हो कम है। वल्लाह तआला आलम (फतावा रजविया)

दसवाँ सवाल : अज़ बदायूँ मुहल्ला जालन्धरी मुहम्मद इदरीस ख़ाँ साहब 28 मुहर्रमुल हराम हिजरी 1331

क्या फरमाते हैं उल्माए दीन व मुफ्तीयान शरहे मतीन इस मसअले में कि शौकत व दबदबए इस्लाम के लिए ताज़िया का बनाना और निकालना व अलम व बुराक़ व मेहंदी वग़ैरा जाएज़ है या नहीं। ताज़िया को हाजतरवा (हाजत पूरी करने वाला) समझना या कहना कि ताज़िया हमारी मन्नत का है अगर बन्द करें न बनायें तो हमारा नुकसान औलाद व माल का होगा, कैसा है। ताज़ियादार ताज़िया परस्त के हाथ का ज़बीहा खाना दुरुस्त है या नहीं।

अलजवाब : अलम, ताज़िया, बैरक, मेंहदीं जिस तरह राएज है बिदअत है और बिदअत से शौकते इस्लाम

नहीं होती --- ताज़िया को हाजतरवा यानी ज़रियाए हाजतरवा समझना जहालत पर जहालत है और उसे मन्नत जानना हिमाक़त और न करने से नुक़सान हो जाने का ख़्याल करना ज़नाना वहम है। मुसलमान को ऐसी हरकत व ख़्याल से बाज़ आना चाहिए ----
ये सब ताज़ियादार मुसलमान हैं और उसके हाथ का ज़बीहा .ज़रूर हलाल है --- कोई जाहिल सा जाहिल मुसलमान भी ताज़िया को माबूद नहीं जानता ---
ताज़िया-परस्त का अल्फ़ाज़ वहाबिया शिर्क-परस्त की ज़बानी है जिस तरह ताज़ीम व तकरीम मज़ारात तय्यबा पर मुसलमानों को क़ब्र-परस्त का लक़ब देते हैं ये सब उनका जहल व ज़ुल्म है। वल्लाह तआला आलम। (फ़तावा रज़विया)

__ग्यारहवाँ सवाल__ : अज़ सीतापुर मुहल्ला क़दयारह मकान क़ाज़ी सय्यद मुहम्मद रज़ा साहब 7 रबीउल आख़िर हिजरी 1331

क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन इस मसअले में कि ताज़िया बनाना कैसा है और उस पर शीरीनी वग़ैरा चढ़ाना कैसा है और बनाने वाले और ताज़ीम करने वाले का शरीअत के नज़दीक क्या हुक्म है जो शख़्स नाजवाज़ी का क़ाएल हो यानी नाजाएज़ होने का क़ायल हो उसको काफ़िर या मुरतद कहना और काफ़िर समझकर उसके पीछे नमाज़ न पढ़ना कैसा है और ताज़ियादारी में .ग़ुलू करने वाले के पीछे नमाज पढना कैसा है।

__अलजवाब__ : जो ताज़िया राएज है नाजाएज़ व बिदअत है और उसका बनाना गुनाह और उस पर

शरीनी चढ़ाना महज़ जहालत है --- और उसकी ताज़ीम बिदअत जहालत और ताज़िया को जो नाजाएज़ कहे सिर्फ़ इस बिना पर उसे काफ़िर या मुरतद कहना अशद अज़ीम गुनाहे कबीरा है, कहने वाले को तजदीदे इस्लाम व निकाह चाहिए, यूहीं इस वजह से उसके पीछे नमाज़ न पढ़ना मरदूद व बातिल है अलबत्ता अगर किसी वहाबी को काफ़िर व मुरतद कहा तो मुज़ाएका नहीं और वहाबी कि पीछे नमाज़ बेशक नाजाएज़ है जो ताज़ियादारी में .गुलू रखे या उससे मारूफ़ हुआ अगर्चे .गुलू न रखे उसके पीछे भी नमाज़ न पढ़ना चाहिए मगर पढ़ें तो हो जाएगी हाँ उसे इमाम बनाना मना है। वल्लाह तआला आलम।

(फ़तावा रज़विया 10)

__बारहवाँ सवाल__ : मसूला सय्यद मक़बूल ईसा मियाँ साहब बरेली नौमहला 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र हिजरी 1335

क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन मुफ़्तीयाने शरा मतीन कि अव्वल यह कि अहले सुन्नत व जमाअत को अशरा मुहर्रम में रंज व ग़म करना जाएज़ है या नहीं दूसरे यह कि अशरा मुहर्रम में शिकार खेलना मुसलमान को दुरुस्त है या नहीं तीसरे यह किं ताज़िया बनाना बिदअत सइय्या (बुरी बिदअत) है या शिर्क व गुनाह कबीरा।

__अलजवाब__ : अहले सुन्नत व जमाअत का मदारे ईमान हुज़ूर -ए- अक्दस सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महब्बत है जब तक अपने माँ बाप औलाद तमाम जहान से ज़्यादा हुज़ूर

की महब्बत न रखे मुसलमान नहीं, ख़ुद हुज़ूर -ए- अक़्दस सय्यदुल मुरसलीन स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

لا یو من احد کم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین

तर्जमा : तुममें कोई मुसलमान नहीं होता जब तक मैं उसके माँ बाप और औलाद और सब लोगों से ज़्यादा प्यारा न होऊँ।

और मुहिब (महब्बत करने वाला) को महबूब की हर शय अज़ीज़ होती है यहाँ तक कि उसकी गली का कुत्ता भी। हज़रत मौलाना .कुद्दिसा सिर्रुहू ने मसनवी शरीफ में हज़रते मजनून रह़मतुल्लाहि तआ़ला अ़लैह की हिकायत तहरीर फ़रमाई कि किसी ने उनको देखा कमाल महब्बत के तौर पर एक कुत्ते के बोसे ले रहे हैं, ऐतराज़ किया कि कुत्ता नजिस है चुनीं है चुनाँ है। फ़रमाया तू नहीं जानता है कि

طلسم بستہ مولی ست ایں
پاسبان کوچہ لیلی ست ایں

तर्जमा : मौला का छुपा हुआ भेद है ये
लैला की गली का निगेहबान है ये

यह कुत्ता लैला की गली का है मुहिब्बान सादिक़ (सच्ची महब्बत करने वाले) का जब दुनिया के महबूबों के साथ यह हाल है जिन में एक हुस्ने फ़ानी का कमाल सही हज़ारों ऐब व नुक़्स भी होते हैं तो क्या कहना है हमारे महबूब स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम का जिन्हें तमाम औसाफ़े हमीदा में

आला कमाल और जिनका हर कमाल अबदी और लाज़वाल (कभी न ख़त्म होने वाला) और जो हर ऐब व नुक़्स से मुनज़्ज़ा (पाक) व बेमिसाल उनका हर इलाक़े वाला सुन्नी के सर का ताज है सहाबा हों ख़्वाह अज़्वाज ख़्वाह अहले बैत रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन --- फिर क्या कहना उनका जो हुज़ूर के जिगरपारे और अर्श की आँख के तारे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

حسین منی وانامن حسین احب اللہ من احب

حسینا حسیب سبط من الا سباط

तर्जमा : हुसैन मेरा और मैं हुसैन का अल्लाह दोस्त रखे उसे जो हुसैन को दोस्त रखे हुसैन एक नस्ली सुबूत की अस्ल है।

यह हदीस किस क़द्र महब्बत के रंग में डूबी हुई है। एक बार नाम लेकर तीन बार ज़मीर काफ़ी थी मगर नहीं हर बार लज़्ज़त महब्बत के लिए नाम ही का इआदा फ़रमाया (यानी इस हदीस में कितनी महब्बत है कि यहाँ हज़रते इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु का तीन बार नाम लिया गया जबकि बाक़ी दो बार सर्वनाम 'वह' का इस्तेमाल किया जा सकता था मगर दो बार नामे अक़दस को दोहराया)

كما قالوا فى قول اقائدتا للہ يا ظبيات القاع قلنلنا اليلاى

منكن ام ليلى من البشر

कौन सा सुन्नी होगा जिसे वाक़ियए करबला का ग़म नहीं या उसकी याद से उसका दिल मख़ज़न

(भरा हुआ) और आँख पुर नम नहीं। हाँ मुसीबतों में हमको सब्र का हुक्म फ़रमाया जज़ा व फ़ज़ा (रोना धोना, चीख़ना चिल्लाना) को शरीअत मना फ़रमाती है और जिसे वाक़ई ग़म न हुआ उसे झूटे ग़म का इज़हार करना रिया (दिखावा) है और क़सदन ग़मआवरी व ग़मपरवरी ख़िलाफ़े रज़ा है जिसे इस का ग़म न हो उसे बेग़म न रहना चाहिए बल्कि उसे ग़म न होने का ग़म चाहिए कि उसकी महब्बत नाक़िस है जिसकी महब्बत नाक़िस उसका ईमान नाक़िस। वल्लाह तआ़ला आलम। (फ़तावा रज़विया)

(2) जिसे खाने या दवा के लिए किसी जानवर की हाजत है वह अगर बक़द्रे हाजत दो एक जानवर मार लाए तो यह किसी खेल या तफ़रीह का फ़ेल न होगा आयते करीमा واذا حللتم فاصطادوا में उसी का ज़िक्र है मगर बेहाजत मज़कूरा तफ़रीह तबअ के लिए जो शिकार किया जाता है वह ख़ुद नाजाएज़ है (यानी जिन बातों की हाजत ज़िक्र की गई उनके अलावा किसी बात के लिए शिकार किया जाता है तो वह नाजाएज़ है) कि एक लहू व लइब है लोग ख़ुद उसे शिकार खेलना कहते हैं और खेल के लिए बेज़बानों की जान हलाक ज़ुल्म व बेदर्दी है। अश्बाह वन्नज़ाएर में है :- الصید مباح الاسلهی तर्जमा : शिकार करना जाएज़ है मगर तफ़रीहन नहीं। इसी तरह वजीज़ कुरदरी व तनवीरुल अबसार में है "लहू खेल और अशरह मुहर्रम"

انا للہ وانا الیہ راجعون و حسبنا اللہ ونعم الوکیل وللہ تعالیٰ اعلم

(3) ताज़िया बनाना शिर्क नहीं यह वहाबिया का ख़्याल है हाँ बिदअत व गुनाह है। वल्लाह तआला आलम। (फ़तावा रज़विया)

<u>तेहरवाँ सवाल</u> : जावरा, मुरसला मसाहिब अली साहब इमाम मस्जिद छीपाँ 27 सफ़र हिजरी 1380

क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन इस मसअले में कि जो शख़्स ताज़िया सवाब व इबादत जान कर ख़ुद बनाए या और लोगों को बनाने की तरग़ीब दे और ताज़िया देखकर ताज़ीमन खड़ा हो जाए और उस पर फ़ातिहा पढ़े और ताज़िए के साथ नंगे पैर ताज़ीमन चले और मरसिया भी पढ़वाता जाए। शाह मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने फ़तावा की जिल्द अव्वल में लिखा है कि बिदअत को इबादत समझ कर करे वह दाराए इस्लाम से ख़ारिज है और उस पर इब्ने माजा की एक हदीस दलील लाए हैं उसका मज़मून यह है कि फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बिदअती इस्लाम से ऐसा साफ़ निकल जाता है जैसे गूंधे हुए आठे से बाल साफ़, तो शाह साहब के क़ौल ख़ारिजे इस्लाम का क्या मतलब है ऐसा शख़्स काफ़िर व मुरतद है या गुमराह व राफ़ज़ी है। बहरहाल ऐसे शख़्स का ज़िबह किया हुआ जानवर हराम या हलाल ऐसे शख़्स की नमाज़े जनाज़ा दुरुस्त है या नहीं जो लोग ऐसे ताज़िया-परस्त के मुरीद हों उनका क्या हुक्म है ऐसे ताज़िया-परस्त और बुतपरस्त में क्या फ़र्क़ है ऐसे ताज़िया-परस्त पर लानत आई है या

नहीं। क्या बुज़ुर्गाने चिश्त से किसी बुज़ुर्ग ने ताज़िया बनाया बनवाया या ताज़ीम दी है।

अलजवाब : ताज़िया ज़ुरूर नाजाएज़ व बिदअत है मगर हाशा (ख़बरदार) कुफ़्र नहीं कि नमाज़े जनाज़ा नाजाएज़ या उसका ज़बीहा मुर्दार या बुतपरस्तों में शुमार हो, इफ़रातो तफ़रीत (यानी बहुत सख़्ती या बहुत नर्मी) दोनों बुरे हैं। यह हदीस इब्ने माजा में है अलावा इस बात से बहुत ज़ईफ़ है। अपने मिस्ल की तरह इस्लामे कामिल से तावील शुदा या बिदअते मुकफ़्फ़रा (यानी ऐसी बिदअत जो कुफ़्र की तरफ़ ले जाने वाली हो) पर महमूर वर्ना हर बिदअत सइया (बुरी बिदअत) कुफ़्र हो जबकि उसका करने वाला उसको अच्छा समझने लगे यही ग़ालिब है, अक़ीदे में बिदअत मुतलक़न कुफ़्र हो जाना लाज़िम कि उसकी तारीफ़ ही यह है कि जो हक़ के ख़िलाफ़ जाहिर करे ---- अलमुन्तहा (किताब का नाम) में हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम से रिवायत है कि دينا قويماو صراطامستقيما (तर्जमा : दीने क़वी व सीधा रास्ता) जैसा कि बहरुर्राएक़ में है हालां कि इजमा उम्मत से बाज़ बदमज़हबयान कुफ़्र नहीं फ़तावा ख़ुलासा, फ़तहुल क़दीर, आलमगीरी वग़ैरा में है :-

الروافض ان فضل عليا على غيره فهومبتدع

وان انكر خلافة الصديق فهو كافره

तर्जमा : रवाफ़िज़ अगर अली को फ़ज़ीलत दें उनके

ग़ैर पर तो वह बिदअती हैं और अगर ख़िलाफ़ते सिद्दीक़ का इन्कार करें तो काफ़िर हैं।

ख़ुलासा वग़ैरा में है

اذاقال ان للہ یداًاور جلاکما للعبد فهوکافر وان قال جسم لا کا جسام مبردع

तर्जमा : जब कोई कहे अल्लाह के लिए हाथ है या पैर है जैसा कि बन्दे के लिए तो वह काफ़िर है और अगर कहे अल्लाह के लिए जिस्म है मगर जिस्मों की तरह नहीं वह बिदअती है।

नीज़ उसी में है :-

وجملة ان من كان اهل قبلتنا ولم يغل فى هواه حتى لم
يحكم بكونه كافر ايجوز الصلوة خلفة ويكره٥

तर्जमा : जो शख़्स हमारे किब्ले वालों में से हो और अपनी ख़्वाहिश में हद से न बढ़ा हो यहाँ तक कि उसके काफ़िर होने का हुक्म नहीं लगायेंगे उसके पीछे नमाज़ जाएज़ मगर मकरूह।

हज़ारों मसाएल इसी तफ़सील से हैं तो हुक्मे मुतलक़ कैसे सही हो सकता है। हाँ इन कामों का (जो सवाल में ज़िक्र हुए) करने वाला बैअत के क़ाबिल नहीं कि पीर के शराएत से है कि वह सुन्नी सहीउल अक़ीदा होने के साथ-साथ फ़ासिक़े मोलिन (फ़ासिक़े मोलिन वह है जो खुले आम कबीरा गुनाह करता हो जैसे नमाज़ छोड़ना या दाढ़ी मुंडाना वग़ैरा) न हो और लानत बहुत सख़्त चीज़ है हर मुसलमान को इससे बचाया जाए बल्कि लईन काफ़िर पर भी

लानत जाएज़ नहीं जब तक उसका कुफ़्र पर मरना .कुरआन व हदीस से साबित न हो। वल अयाज़ु बिल्लाही तआ़ला --- वल्लाह तआ़ला आलम।

(फ़तावा रज़विया 10)

<u>नोट</u> : यह मसअला भी मुश्किल है इसे भी किसी आलिम से समझें। इतना समझ लेना काफी है कि ताज़ियादारी कुफ़्र नहीं क्यूँकि जाहिल से जाहिल शख़्स भी ताज़िया को बुत या माबूद नहीं समझता हाँ अगर कोई शख़्स ताज़िया को माबूद समझे तो बिला शुबा यह कुफ़्र हुआ। वल्लाह तआ़ला आलम।

<u>चौदवाँ सवाल</u> : अज़ लहरपुर ज़िला सीतापुर मदरसा इस्लामिया मुरसला मुहम्मद फैज़ उल्लाह तालिबे इल्म बंगाली 6 शाबान हिजरी 1337

बिस्मिल्लाहिर्रह़मानिर्रह़ीम नह़मदुहू व नुसल्लि अ़ला रसूलिहिल करीम क्या फरमाते हैं उल्माए दीन इस मसअले में कि ज़ैद मुद्दई हनफीयत कहता है कि ताज़िया चूंकि नक्शा है सय्येदिना हज़रत इमाम हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के रौज़ए मुक़द्दसा का और मन्सूब है सय्येदिना इमाम हुमाम रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की तरफ लिहाज़ा इसका बनाना .जुरूरी काम है, सवाब है, क़ाबिले ताज़ीम और ज़रियए नजात है लिहाज़ा जो शख़्स उनकी ताज़ीम बनाने का मुख़ालिफ़ है वह यज़ीद है पस ज़ैद की यह बात तहकीक तलब है। (1) ताज़िया बनाना सवाब है या अज़ाब। (2) इसके बनाने में किसी क़िस्म की इमदाद (मदद) जाएज़ है या नहीं। (3) इसका बनाने वाला फासिक

राफ़ज़ियो के मुशाबे है या नहीं और इस बुनयाद पर इस हराम व बिदअत को जाएज़ समझने वाला काफ़िर है या अशद फ़ासिक़। (4) मज़हबे इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह में भी इसका सुबूत है या नहीं और इस बुनयाद पर उसका बनाने वाला मुत्तबेअ इमाम आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह है या नहीं और उसका यह दावा कि हनफ़ी हूँ जिससे अवाम भी ताज़िया बनाने की तरफ़ रागिब होते हैं यह धोका देना है या नहीं, गुमराही है या नहीं। (5) ऐसे शख़्स को हनफ़ी लोग अपना पीर या पेशवा बना दें तो जाएज़ है या हराम और मुरीदीन पर फ़स्ख़े बैअत (यानी बैअत का तोड़ देना) वाजिब है या नहीं और ऐसे शख़्स से नमाज़ पढ़वाना जाएज़ है या मकरूहे तन्ज़ीही या मकरूहे तहरीमी या हराम है। (6) ताज़िया के इन्कार करने वाले को यज़ीद या बद्दीन कहना कैसा है अगर इन्कार करने वाले ऐसे नहीं तो यह क़ौल ख़ुद कहने वाले पर पड़ता है या नहीं यानी इसका वबाल या गुनाह कहने वाले पर कितना होगा और हदीस शरीफ़ के इस क़ायदे के तहत दाख़िल होंगे या नहीं कि अगर किसी को काफ़िर कहे और वह फ़िलवक़्त ऐसा नहीं तो कहने वाला ख़ुद काफ़िर होता है। (7) ताज़िया बनाने वाला चूंकि आम मुसलमानों की हाज़िर होने की वजह होता है इस बुनयाद पर हराम व बिदअत हाज़रीन व बानी दोनों गुनाह में बराबर है या ज़्यादा या कम।

<u>**अलजवाब**</u> : ताज़िया जिस तरह राएज है बिदअत ही नहीं बल्कि बिदअतों का मजमूआ है (यानी बहुत सी बिदअतें इस में इकट्ठी हैं) न वह रौज़ए मुबारक का नक़्शा है और हो तो मातम सीनाकोबी और ताशे बाजों के गश्त और ख़ाक में दबाना यह क्या रौज़ए मुबारक की शान है और परियों और बुराक़ की तस्वीरें भी शायद रौज़ए मुबारक में होंगी। इमाम आली मक़ाम की तरफ़ अपनी गढ़ी हुई ख़्वाहिशों की निसबत इमाम रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु की तौहीन है क्या तौहीने इमाम क़ाबिले ताज़ीम है। काबए मुअज़्ज़मा में ज़मानए जाहिलियत में मुशरिकीन ने सय्येदिना इब्राहीम सय्येदिना इस्माईल अ़लैहिमस्सलातु वस्सलाम की तस्वीरें बनाईं और हाथ में पांसे दिए थे जिन पर लानत फ़रमाई और उन तसवीरों को मिटा दिया, यह तो अम्बिया इज़ाम की तरफ़ निसबत थी क्या उससे वो मलऊन पांसे मुअज़्ज़म (अज़मत वाले) हो गए या तस्वीरें बाक़ी रखने के क़ाबिले और इसे .जुरूरी कहना तो और सख़्त इफ़्तेरा (इलज़ाम) वह भी किस पर शरा मुत्तहेरा पर। ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون (तर्जमा : और बेशक जो लोग अल्लाह पर झूट बांधते हैं फलाह नहीं पायेंगे) और इसके मुन्किर को यज़ीद कहना रिफ़्ज़े पलीद है यानी बहुत बुरी राफ़ज़ियत है। ताज़िया में किसी क़िस्म की इमदाद (मदद) जाएज़ नहीं। अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि मदद न करो गुनाह और सरकशी पर। सवाल में

ज़िक्र किया हुआ तरीक़ा .जुरूर फ़िस्क़ और राफ़ज़ियों की इत्तेबा है और ताज़िया को जाएज़ समझना अक़ीदा है मगर इन्कार .जुरूरियाते दीन नहीं कि काफ़िर हो न इससे हनफ़ियत ख़त्म हो कि गुनाह हनफ़ियत को ख़त्म करता है तो सिवाए बड़े औलिया इकराम के कोई हनफ़ी न हो सके। मोतज़ला (एक फ़िरक़े का नाम) अस्ल में बद्दीन थे और फ़रअन (मसाएल में) हनफ़ी --- जो बातिल (झूटी) बात दूसरे को कही जाए उसका वबाल कहने वाले पर आता है। ठीक इसी तरह वही बात पलटना मुतलक़न नहीं कि किसी को नाहक़ गधा कहने से कहने वाला गधा न हो जाएगा --- यूंही किसी सुन्नी को यज़ीद कहने वाला यज़ीद न हो जाएगा बल्कि इसमें राफज़ियों का पैरो --- उसके पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी है और उसकी बैअत मना और बाक़ी रखने के क़ाबिल नहीं। हाज़रीन में हर एक पर अपना गुनाह है और बानी और बुलाने वाले पर उन सबके बराबर गुनाह है।

لا ينقص من اوزارهم شيئاوالله تعلى اعلم٥

__*तर्जमा*__ : उनके गुनाहों में से कुछ कमी नहीं होगी। अल्लाह बेहतर जानने वाला है।

__*पन्द्रहवाँ सवाल*__ : 11 मुहर्रमुल हराम हिजरी 1339 क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन व ख़लीफ़ए मुरसलीन मसाइल ज़ैल में (1) बाज़ सुन्नत जमाअत आशूरा 10, मुहर्रमुल हराम को न तो दिन भर रोटी पकाते

हैं और न झाड़ू देते हैं, कहते हैं कि बाद दफ़न ताज़िया के रोटी पकाई जाएगी। (2) इन दस दिनों में कपड़े नहीं उतारते हैं। (3) माहे मुहर्रम में कोई ब्याह शादी नहीं करते। (4) इन दिनों में सिवाए इमाम हसन व इमाम हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा के किसी की नियाज़ फ़ातिहा नहीं दिलाते हैं आया यह जाएज़ है या नहीं।

अलजवाब : ये तीनों बातें सोग हैं और सोग हराम है और चौथी बात जहालत है हर महीने हर तारीख़ में हर वली की नियाज़ और हर मुसलमान की फ़ातिहा हो सकती है। वल्लाह तआ़ला आलम। (फ़तावा रज़विया)

सोलहवाँ सवाल : : अज़ रियासत दाजगढ़ बियावर एजेंसी भोपाल सेन्ट्रल इन्डिया मसूला मुहम्मद इस्माईल सवार रिसाला बाडी गार्ड।

क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन इस बारे में कि मुहर्रम में ताज़िया बनाना और उससे मन्नतें मुरादें मांगनी, अलम उठाना, महंदी चढ़ाना, बच्चों को सब्ज़ कपड़े पहनाने और उन के गलों में डोरियाँ बांध कर उनको इमाम हुसैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु का फ़क़ीर बनाना, दस रोज़ तक सोग से रहना और इसके सोम दसवाँ और चालीसवाँ करना, ऐसे मरसियों का पढ़ना जिसमें अहले बैत के सर पीटने और बैन करने ख़िलाफ़े शरा बातों का ज़िक्र है और यह कि उन रस्मों की अदाएगी को अहले बैत की महब्बत, आम तौर से हमराहियाने यज़ीद को मरदूद काफ़िर कहना, हज़रत अमीर मुआविया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को बुरा कहना उसको भी मक़तज़ाए हुब्बे अली रद़ियल्लाहु

तआ़ला अन्हु समझना (यानी हज़रते अमीर मुआविया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु को बुरा भला कहने को हज़रते अली रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की महब्बत समझना) हज़रत इमाम हसन व हुसैन रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमः को तमाम नबियों से भी रुतबे में बढ़ कर समझना और यह ख़्याल करना कि हज़रत सूफ़ियाए किराम ने भी ऐसा ही समझा है और ऐसा समझने को ऐन ईमान कहना कैसा है।

अलजवाब : हज़रत इमामैन रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा ख़्वाह किसी ग़ैर नबी को किसी नबी से अफ़ज़ल कहना कुफ़्र है। हज़रत अमीर मुआविया रद़ियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु या किसी सहाबी को बुरा कहना रिफ़्ज़ (राफ़ज़ियत) है और यज़ीद के साथियों यानी जो उन मज़ालिम में उसके मददगार थे .ज़ुरूर ख़बीस व मरदूद थे और काफ़िर मलऊन कहने के बारे में हमारे इमाम का मज़हब सुकूत है यानी ख़ामोश रहने का हुक्म फ़रमाया और जो काफ़िर कहे उस पर भी इल्ज़ाम न लगेगा कि यह भी इमाम अहमद वग़ैरा बाज़ अइम्मए अहले सुन्नत का मज़हब है। सोम, दसवाँ, चालीसवाँ सवाब हैं और यह तख़्सीसाते उर्फ़िया हैं और इसाले सवाब मुस्तहब बाक़ी रस्में कि सवाल में ज़िक्र हुई सब ममनूअ व नाजाएज़। (यानी सोम, तीजा और चालीसवाँ ये सब इसाले सवाब के तरीक़े हैं और सब सवाब हैं और बाक़ी सवाल में जो रस्मों का .ज़िक्र हुआ वह सब नाजाएज़ हैं। वल्लाह तआ़ला आलम। (फ़तावा रज़विया)

सत्रहवाँ सवाल : अज़ शहर कोहना मसूला मुहम्मद ख़लील उद्दीन अहमद साहब 16 मुहर्रम हिजरी 1339

क्या फ़रमाते हैं उल्माए दीन इस मसअले में कि 2 मुहर्रमुल हराम को रवाफ़िज़ ज़रीदह उठाते हैं। गश्त के वक़्त उनको अगर कोई अहले सुन्नत व जमाअत शरबत की सबील लगा कर शरबत पिलाए या उनको चाय बिस्कुट या खाना खिलाये और उनके साथ कुछ अहले सुन्नत व जमाअत भी शामिल हों और खायें पियें तो यह फ़ेल कैसा है और इस सबील वग़ैरा में चन्दा देना कैसा है।

अलजवाब : यह सबील और खाना चाय बिस्कुट कि राफ़ज़ियों के मजमे के लिए किए जायें जो तबर्रा व लानत का मजमा है, नाजाएज़ व गुनाह हैं और उनमें चन्दा देना गुनाह है और उनमें शामिल होने वालों का हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं :-

من كثر سوا وقوم فهو منهم

तर्जमा : जो किसी क़ौम के मजमे को बढ़ाए वह उन्हीं में से है।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار

तर्जमा : ज़ालिमों के साथ न बैठो कि पहुँचे तुम्हें आग।

अल्लाह तआला फ़रमाता है :-

ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والله تعالى اعلم٥

तर्जमा : मदद न करो गुनाह पर और सरकशी पर।

(फ़तावा रज़विया)